

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-67/2012

/कृ०, पटना, दिनांक

,2014.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री रजनीश किरण,
मेसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रा० लि०,
प्लॉट नं०-369, पश्चिम ट्रांसपोर्ट नगर बिहार, हॉस्पिटल के बगल में,
पटना-26

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 80 दिनांक 02.09.2013 एवं वैद्यता तिथि 31.12.2014 का इन्डोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान, अन्य संगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में मेसर्स माडर्न पेपर्स सिडको इन्डस्ट्रीयल कम्पलेक्स बड़ी ब्राह्मण जम्मू (जम्मू एण्ड कश्मीर) के निम्नलिखित कीटनाशियों का मेसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रा० लि०, अनुज्ञप्ति संख्या-80 दिनांक 02.09.2013 वैद्यता तिथि 31.12.2014 के अन्तर्गत इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र०सं०	कीटनाशी का नाम	क्र०सं०	कीटनाशी का नाम
1	Acetamiprid 20% SP	13	Oxyfluorfen 23.5% E.C (w/w)
2	Alphamethrin 10% EC	14	Paraquate dichloride 24% SL
3	Atrazine 50% WP	15	Pendimethalin 30% EC
4	Buprofezin 25% SC	16	Piroxofop-Propinyl (Clodinafop-Propargyl) 15% WP
5	Butchlor 5% GR	17	Pretilachlor 30.7% EC
6	Carboxin 75% W.P.	18	Pretilachlor 50% EC
7	Chloropyriphos 10% GR	19	Propiconazole 25% E.C
8	Chloropyriphos 20% EC	20	Spinosad 45% SC
9	Hexaconazole 5% EC	21	Sulfosulfuron 75% WG
10	Imidacloprid 17.8% SL	22	Tebuconazole 2% D.S.
11	Lambda Cyhalorhrin 2.5% EC	23	Tricyclazole 75% WP
12	Lambda Cyhalorhrin 5% EC		

2-उपरोक्त कीटनाशी का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रा० लि० प्लॉट नं०-369, पश्चिमी ट्रांसपोर्ट नगर पटेल कालोनी रोड, पटना-26

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 नियमावली, 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

7-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

8-अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिमाता के अतिरिक्त राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0 / -

(धर्मेन्द्र कुमार)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5540

/क०, पटना, दिनांक 08-12-2014

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान)/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।